

आज दिनांक 21.05.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौरस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त मुन्नन पुत्र तफज्जुल निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 139 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- प्रभारी चौकी राजेडीहा उ0नि0 श्री रमेश यादव, का0 मजीत मौर्य, कां0 रोहित कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 22 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1492 द्वारा विवाद मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत हड़ियामाफी से इवेन्ट संख्या 15494 से कालर ने दो पक्षों के विवाद में 01 व्यक्ति के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 07 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल हुए व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजवाया गया तथा इस संबंध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्ति द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 दिनेश यादव, आ0 जयप्रकाश कुशवाहा, हो0चा0 दिनेशचन्द्र।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 70 वाहनो से 63500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 21.05.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 70 वाहनो से 63500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।